न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15/335

1. रामलाल आत्मज कालू लाल जाति मलाी निवासी ग्राम खोडी (मीणा की) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. चौथमल आत्मज कालूलाल जाति माली निवासी ग्राम सावतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. महावीर
4. रामकिशन पिसरान देवा जाति माली निवासी ग्राम सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. गीता
6. भूला पुत्रियॉ देवाजी जाति माली निवासी ग्राम सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मण दास चेला रघुनाथ दास जाति वैष्णव निवासी ग्राम सीसवाली हाल निवासी मंदिर श्री राधारमण जी सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
3. उप पंजयीक हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम खोडी (मीणा की) तहसी हिण्डोली की कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री
वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित
अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत दावे का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते है। अर्थात् पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर ही निर्णय किये जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य कोई सहमति नहीं बनी थी और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा ही हुआ था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण तरीके से उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । पक्षकारान राजस्व लोक अदालत में उपस्थित रहे हैं और पक्षकारान की उपस्थिति में ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों या पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और न ही उनके मध्य कोई राजीनामा हुआ था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है और ऐसे प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर ही निर्णित किया जाना चाहिए था । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

पक्ष समर्थन

के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त किया जाता है । न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य ले जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा